सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 44 राँची, बुधवार, 22 जनवरी, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2019

संख्या-एल०जी०-29/2018-303/लेज०--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-17/10/2019 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019
(झारखंड अधिनियम संख्या-17, 2019)
झारखंड राज्य विश्विद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु अधिनियम

<u>प्रस्तावना</u>

राज्य में संस्कृत भाषा को बढावा देने हेतु संस्कृत पढाने वाले महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार संस्कृत भाषा के पठन- पाठन के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय के गठन करने का विचार रखती है, जिसका नाम " बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय" और जिसका मुख्यालय देवघर, झारखंड में होगा | संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के

सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत आते हैं, इस विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे |

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु "बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय" की झारखंड राज्य में स्थापना और उसके अनुरूप झारखंड राज्य विश्विद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित)" में संशोधन का प्रस्ताव है |

अतएव भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो -

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
   (i) यह अधिनियम "झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जाएगा |
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा |
   (iii) यह तुरंत प्रभावी होगा |

अध्याय-2

2. झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-3 (विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1) (f) का प्रतिस्थापन :-

वर्तमान धारा-3 की उपधारा-(1) (f) में वर्तमान प्रावधान:-

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा |

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थाए और संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारिता पुरे झारखंड राज्य के लिए होगा |"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है |

धारा-3 (विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा-(1)(f) का प्रतिस्थापना:-

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोडकर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा |

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाएं और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पुरे झारखंड राज्य के लिए होगा | संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानो के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत आते हैं, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे |"

<u>अध्याय -3</u>

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा-3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उप धारा-1(r) का समावेशन

निम्नलिखित प्रावधान का समावेशन हो :-

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), जिसे इसके बाद कथित अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, की धारा-3 की उप धारा-1(q) के अंत में निम्नलिखित उपधारा-1(r) के रूप में समावेश किया जाएगा |

"3(1)(r) बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्विद्यालय, जिसका मुख्यालय देवघर, झारखंड में होगा और जिसकी अधिकारिता पुरे झारखंड राज्य पर होगा |

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2019

संख्या-एल०जी०-29/2018-304/लेज०--झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-17/10/2019 को अनुमत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2019
(JHARKHAND ACT, 17, 2019)

An Act for amendment in Jharkhand State University Act, 2000 (adopted)

Preamble

To encourage Sanskrit language in the State and the strengthen the colleges imparting studies in Sanskrit, the State Government want to establish a dedicated university, which will be known as "Baba Baidhayanath Sanskrit University" with headquarter at Deoghar, Jharkhand. Educational institutional imparting academic distinction in Sanskrit, which comes under the territorial jurisdiction of Vinoba Bhave University, Hazaribagh, will come under the jurisdiction of this University.

For fulfillment of this objectives, proposal for establishment of "Baba Baidhayanath Sanskrit University" and consequence amendment in Jharkhand State Universities Act, 2000 (adapted and amendment up-to-date) is placed.

Now therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER 01

1. Short title, extent and commencement –

(i) This Act may be called Jharkhand State Universities (amendment) Act, 2019.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force at once.

CHAPTER 02

Substitution of Sub-section-(1) (f) of Section-3 (Establishment and incorporation of Universities) of Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and amendment up-to-date)

Existing provision of Sub-section (1) (f) of Section-3

"Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chotanagpur Division, except Dhanbad and Bokaro Districts.

Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in matters pertaining to educational institutions imparting teaching in Homeopathy, Indigenous Medicines and educational institutions imparting academic distinction in Sanskrit, Pali, Prakrit and such other languages which in the University may consider necessary.

Be substituted by the following provision:-

Substitution of Sub-section (1) (f) of Section-3

"Vinoba Bhave University having the headquarters at Hazaribagh and the jurisdiction over the whole of the North Chotanagpur Division, except Dhanbad and Bokaro districts.

Provided that the territorial jurisdiction shall extend to the whole of State of Jharkhand in matters pertaining to educational institutions imparting teaching in Homeopathy, Indigenous Medicines and educational institutions imparting academic distinction in Pali, Prakrit and such other languages which in the University may consider necessary. The educational institutions imparting academic distinction in Sanskrit which comes under the territorial jurisdiction of Vinoba Bhave University, Hazaribagh, will now come under the jurisdiction of this **"***Baba Baidhayanath Sanskrit University", having the headquarter at Deoghar, Jharkhand*."

CHAPTER 03

3. Insertion of Section-3 (Establishment and incorporation of Universities) Sub-section-(1)(r) of Jharkhand State University Act, 2000 (adapted and amendment up-to-date).

Be inserted by the following provision:-

At the end of sub-section (1)(q) of the section 3 of the Jharkhand State University Act, 2000 (adapted) hereinafter referred to as the said Act, the following sub-section will be inserted as sub-section-1(r)

"3(1)(r) "Baba Baidhayanath Sanskrit University", having the headquarter at Deoghar, Jharkhand and the jurisdiction over the whole of the Jharkhand State.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 44 -- 50